तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजेश जैन बनाम श्रीमती भंवरीदेवी** **422/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00426)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible].07.18	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही, प्रकरण में पुनः रूक रूककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थिन नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2017 से विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपूर्ण अपील प्रस्तुत की गई है एवं अपील प्रस्तुत होने के बाद एक बार भी अधिवक्ता अपीलान्ट अथवा अपीलान्ट की ओर से कोई भी न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नही हुए है। ऐसी स्थिति मे अब इस अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(टी0रविकान्त)** संभागीय आयुक्त, जयपुर।	